(Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)4/2006, dated 21st April, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment.

.....

No. SJE-A(3)4/2006, dated, Shimla-2 the 21st April,2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Educator, Class-III(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement; 1(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Special Educator, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2009

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order
Pr. Secretary(SJ&E)to the
Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No. NoSJE-A(3)4/2006, dated, Shimla-2 the 21st April,2009
Copy to.

1.The Administrative Secretaries(Personnel/Finance/Law)to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
2.Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette.
3. Director, Social Justice & Empowerment, H.P., Shimla-9 . She is requested procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
4.The Sr. Law Officer, Law Deptt.(Hindi)H.P. Secretariat Shimla-2.
5.Guard file/ 50 spare copies.

Under Secretary(SJ&E)to the
Govt. of Himachal Pradesh

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL EDUCATOR(NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1.	Name of the Post:	Special Educator
2.	Number of posts	1 (one)
3.	Classification	Class-III (Non-Gazetted) Non Ministerial
4.	Scale of pay (be given in expanded notation)	Rs. 5000-160-5800-200-7000-220-8100
5.	Whether Selection or Non-Selection post:	N.A..
6.	Age for direct recruitment;	Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporation/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits;	**ESSENTIAL:** i)Should be Graduate from a recognized University. ii)B.Ed. in Special Education(Hearing Impaired/Visually Impaired)from recognized University.

		(iii)The candidate must be registered with RCI **<u>(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS</u>** i) At least one year teaching experience in the related field ii)Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes:	**<u>Age:-</u>---------------------N.A** **Educational qualification N. A.**
9.	Period of probation, if any;	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be record in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.	100% by direct recruitment on regular basis or on contract basis .
11.	In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made;	N.A.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition;	N A.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment;	As required under the law.
14.	Essential requirement for direct recruitment;	A candidate for appointment to any post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test and if

		Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
15 A	Selection for appointment to the post by contract appointment.	(i) CONCEPT. (a) Under this policy, the Special Educator in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis. (b)The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. SSSB. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules. (d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job. **(ii) Contractual Emoluments** The Special Educator appointed on contract basis will be paid contractual amount @ Rs 7500/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 160/- as annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year. (iii) APPOINTING /DISCIPLINARY

AUTHORITY.

Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(iv) SELECTION PROCESS.

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HPSSB.

V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:-

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.B. from time to time.

VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7500/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 160/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.

(b) The service of the Contractual

appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c)Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarlly unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay

		scale.
		VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:
		The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption in the Department at any stage.
16.	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Sch. Tribes Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	N.A.
18.	Powers to Relax:	Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Special Educator ________& the Government of Himachal Pradesh through Social Justice & Empowerment Department This agreement is made on this-------------------day of -------------------in the year..............Between Sh/Smt./Km........................S/o/D/o...................Shri.......................R/o............................. ....contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), And The Governor, Himachal Pradesh through Director, Social Justice and Impowerment Himachal Pradesh(here-in-after called (the SECOND PARTY) The Second Party has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a .. Special Educator .... on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Special Educator..................for a period of 1 year commencing on day of.. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on.. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 7500/- P.M. with annual increase of Rs.160/-if contract is extended beyond one year.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regular service at any stage.

5. The Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. No other leave of any kind is admissible to the contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of the appointee...........................on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates

pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contractual..appointee.......shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part Officer at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ....

....

....

(Name and Full Address)

(Signature of the First party)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

(Signature of the Second Party)

2. ....

....

....

(Name and Full Address)

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याःएस.जे.ई.– ए(3)4/2006 तारीख शिमला–2 21 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श, से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष शिक्षक, वर्ग–III(अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध –'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम,बनाते हैं, अर्थात्ः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1.(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, विशेष शिक्षक,, वर्ग–III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(सामाजिक . न्याय एवं अधिकारिता. विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याःएस. जे. ई. .(3)4/2006 तारीख शिमला–2 21अप्रैल, 2009

प्रतिलिपिः

1.प्रशासनिक सचिव(कार्मिक/वित्त/विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2।

2.नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला.5 कोअसाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपग्रन्त राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को भिजवाने की कृपा करें ।

3.निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला.9 को तथा उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें।

4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव(विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार, ।

5. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां ।

6. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड(II.)विधि विभाग हि. प्र. सचिवालय शिमला–2

अवर सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.)
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध.क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष शिक्षक,वर्ग–III(अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.	पद का नाम	विशेष शिक्षक।
2.	पदों की संख्याः	1(एक)।
3.	वर्गीकरण	वर्ग–III(अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय
4.	वेतनमान	5000–160–5800–200–7000–220–8100 रूपए।
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर,निगमों/ स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए ,यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	(क) **अनिवार्य अर्हताएः–** (i)किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षण (श्रवण वाधित/दृष्टि वाधित) मे शिक्षा स्नातक(बी.एड.) हो। (iii) अभ्यर्थी आर.सी.आई से अवश्य पंजीकृत हो। (ख) **वांछनीय अर्हताएं** (i)सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। (ii)हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/	लागू नहीं।

	प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा	
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना	लागू नहीं।
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन !	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
15 – क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन	**(I)संकल्पनाः** (क)इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में विशेष शिक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
		(ख) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।
		(ग)चयन इन नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
		(घ)इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को सरकारी सेवा(जाव) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा 1
		(II)संविदात्मक उपलब्धियां संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष शिक्षक को 7500 / –. रूपए की संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है

		तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 160/- रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।
		(III)नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
		(IV)चयन प्रकिया :- संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठ्यक्रम इत्यादि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
		(V)संविदात्मक पर नियुक्तियों के लिए चयन समितिः- जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय -समय पर गठित की जाए ।
		(VI)करारः- अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
		(VII)निबन्धन और शर्ते :- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7500/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी)की प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 160/- रूपए की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान इत्यादि नहीं दिया जाएगा।
		(ख)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।
		(ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में,सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
		(घ)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/ होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।
		(ड.)नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य(ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि

		के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
		(च)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।
		(छ)चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त होगी । महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।
		(ज.)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर यात्रा भत्ते /दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
	(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकारः	इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में, नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा 1
	16 आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।
	17. विभागीय परीक्षा	लागू नहीं ।
	18 शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध–ख

विशेष शिक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री /श्री मती......................................पुत्र /.पुत्री श्री.................................. निवासी..संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख........................... को किया गया । द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष शिक्षक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष शिक्षक के रूप में ....से प्रारम्भ होने और........... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात...............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित(समाप्त)समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. **प्रथम पक्षकार** का संविदात्मक रकम 7500/ – रूपए प्रतिमास होगा। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो 160/– रूपए की वार्षिक वृद्धि दी जाएगी।

3 **प्रथम पक्षकार** की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त)की जाने के लिए दायी होगी ।

4 संविदात्मक पद नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्त्सिा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

6 नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान(समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(ड्यिूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा ।

7 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।

8 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यथिर्यों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी /व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए ।

9 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

10 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों)को, सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई.पी.एफ. /जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में

1............................
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...............................
....
....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1......................................
....
....
(नाम व पूरा पता)

2...
....
....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)